भुगतान प्रणालियों में प्रभारों पर चर्चा पत्र

(3 अक्तूबर 2022 तक जनता के अभिमत हेतु उपलब्ध)



भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
क.	भुगतान प्रणाली और प्रभार	
1.	परिचय	1
2.	प्रभार निर्धारण का औचित्य	2
3.	भुगतान प्रणालियों के प्रकार	3
4.	भुगतान प्रणालियों का स्वामित्व	4
5.	भुगतान प्रवाह में सहभागी और सेवा प्रदाता	4
6.	भुगतान प्रणालियों में प्रभारों के प्रकार	5
7.	भुगतान प्रणालियों पर प्रभारों के लिए नियामक और सरकार का हस्तक्षेप	8
ख.	प्रभारों और संबंधित पहलुओं के बारे में उत्पाद-अनुसार विचार-विमर्श	
8.	निधि अंतरण भुगतान प्रणाली	10
9.	व्यापारिक भुगतान प्रणालियां	14
10.	एकीकृत भुगतान इन्टरफेस	21
11.	मध्यस्थ	23
12.	सरचार्ज और सुविधा शुल्क	24
13.	अन्य पहलू	26
14.	प्रश्नों का सारांश	27
परिशिष्ट : प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची		

भुगतान प्रणालियों में प्रभारों पर चर्चा पत्र

क. भुगतान प्रणाली और प्रभार

1. परिचय

- 1.1. भुगतान और निपटान प्रणालियां किसी भी अर्थव्यवस्था के सहज संचालन करने के लिए अनिवार्य हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक, आरबीआई, यह बैंक) देश में डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है, और साथ ही इसकी निरापदता और सुरक्षा को भी बरकरार रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि भारत में 'अत्याधुनिक' भुगतान और निपटान प्रणालियां रहें, जो केवल निरापद और सुरक्षित ही नहीं हो बल्कि कुशल, तीव्र और लोगों की सामर्थ्य में हों।
- 1.2. अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान लेन-देन से संबंधित अवसंरचना, पद्धितयों या प्रभारों के कारण भुगतान प्रणालियों में विभेद हो सकते हैं। भुगतान प्रणालियों के इस परिमंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का फोकस सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन विभेदों को दूर करने पर है। इस संबंध में हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों का फोकस रहा है (i) प्रयोग में सुविधा और सहजता से समझौता किए बिना डिजिटल भुगतानों की अवसंरचना का वर्धन करना; और (ii) नवोन्मेषी, अंत: प्रचालनीय और समावेशी भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देते हुए अधिकाधिक पैठ बनाना। इन हस्तक्षेपों का मुख्य संबंध लेन-देन की सरलता और सुरक्षा में सुविधा देने, भुगतान अवसंरचना में सुधार करने, आदि से है। बाजार के व्यवहार की जरूरत को देखते हुए प्रयोक्ताओं और अन्य के लिए प्रभारों में हस्तक्षेप न्यूनतम ही रहा है। कार्यकुशल भुगतान प्रणाली अपेक्षा करती है कि शुल्क / प्रभार / कीमतें समुचित रूप से निर्धारित की जाएं, ताकि प्रयोक्ताओं को ठीक-ठीक लागत देनी पड़े और संचालकों को समुचित प्रतिलाभ (राजस्व/अर्जन) मिले। आदर्श स्थिति तो यही होती है कि इस प्रकार की लागत-संबद्ध व्यवस्थाओं को मांग, पूर्ति, संवृद्धि और प्रयोक्ता की विचारणा के आधार पर बाजार से निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाए।
- 1.3. इस संबंध में यह अनिवार्य समझा गया कि देश में विभिन्न भुगतान प्रणालियों में प्रभार लगाने के नियमों और पद्धतियों की समेकित समीक्षा की जाए, जिसमें उद्देश्य यही रहे कि कार्यकुशलता, संवृद्धि और भुगतान प्रणालियों की स्वीकार्यता पर इनके प्रभाव का आकलन भी हो। इस संदर्भ में यह उपयोगी समझा गया कि जनता और स्टेकधारकों के समक्ष एक विमर्श आलेख प्रस्तुत किया जाए और भुगतान प्रणालियों पर लगाए जाने वाले प्रभारों के विभिन्न आयामों पर अभिमत और संभावनाओं की जानकारी ली जाए।
- 1.4. इस विमर्श आलेख में भुगतान प्रणालियों में लगाए जाने वाले प्रभारों के विद्यमान नियमों और तरीकों की रूपरेखा दी गई है और अन्य विकल्पों को प्रस्तुत किया गया है जिनके माध्यम से इन प्रभारों को लगाया जा सकता है। आशय यही है कि इसमें निहित विविध समस्याओं को निष्पक्ष रूप से बताया जाए और इनसे निकलने वाले सवालों के आधार पर फीडबैक प्राप्त किया जाए। यह भी विचार है कि इनपुट हासिल किए जाएं और इसके बाद इनका प्रयोग आगामी नीति निर्धारण में किया जाए। जैसाकि विभिन्न भुगतान प्रणालियों पर विमर्श के अंत में देखा जा सकता है कि कुछ सवाल उठाए गए हैं जिनके बारे में जनता / स्टेकधारकों से

फीडबैक देने का अनुरोध है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक का यह प्रयास रहेगा कि देश में अलग-अलग भुगतान प्रणालियों / क्रियाकलापों के लिए प्रभारों की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाने के लिए अपनी नीतियों की रचना की जाए। इस स्तर पर पुन: इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस विमर्श आलेख में उठाए गए मुद्दों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने न तो कोई विचार बनाया है और न ही कोई विशिष्ट अभिमत दिया है।

2. प्रभार निर्धारण का औचित्य

- 2.1. भुगतान प्रणालियों के संचालक स्वतंत्र प्रतिष्ठान हैं जो आरंभिक पूंजी के परिव्यय से शुरू किए गए थे। सुरक्षित और निरापद भुगतान प्रणालियों के सृजन और संचालन, ग्राहकों को हासिल करने, संविधियों/विनियमों के अनुपालन और जनता में जागरुकता पैदा करने पर वे और भी व्यय करते हैं। इसलिए किसी अन्य उद्योग की ही भांति इनके प्रवर्तकों के उद्देश्य में लागत को वसूल करना और पर्याप्त प्रतिलाभ का सृजन करना होता है ताकि संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित हो सके; इन उद्देश्यों का ही परिणाम है ग्राहकों / व्यापारियों पर लागत का बोझ पडना।
- 2.2. भुगतान प्रणाली संचालकों (पीओएस) द्वारा अपनाए जाने वाले राजस्व मॉडल आमतौर पर संचालित की जा रही भुगतान प्रणाली के प्रकार के प्रकार्य और उसके स्वामित्व की संरचना के अनुसार होते हैं। इन मॉडलों में लोक हित में समायोजन हो सकते हैं यदि इन प्रभारों को सांविधिक 1 या विनियामक 2 अधिदेशों के माध्यम से किया जाए। ऐसे परिदृश्य में यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि भुगतान प्रणालियों की कीमत इस तरीके से निर्धारित की जाए जिसमें इन सेवाओं का लाभ लेने वाले प्रयोक्ताओं और इन सेवाओं के प्रदाताओं दोनों के लिए लाभप्रद हो।
- 2.3. भुगतान प्रणालियों सिहत किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में मुफ्त सेवा के लिए कोई न्यायसंगतता नहीं प्रतीत होती है, जब तक कि इसमें लोक-हित का तत्त्व और इस अवसंरचना में राष्ट्र कल्याण हेतु समर्पण नहीं हो। लेकिन इस प्रकार की अवसंरचना की स्थापना और संचालन की लागत कौन उठाएगा यह विवादास्पद विषय है। इस विमर्श आलेख में ऐसे ही कुछ मुद्दों को प्रस्तुत किया गया है।

3. भुगतान प्रणालियों के प्रकार

- 3.1. भुगतान प्रणाली में भुगतानकर्ता और लाभभोगी के बीच वित्तीय **लेन-देन** का निपटान किया जाता है। भुगतान प्रणाली में सामान्यतया निधियों के प्रवाह में या तो निधियों का संचरण एक खाते³ से दूसरे खाते में होता है या किसी एक खाते में नकदी जमा की जाती है या किसी खाते से नकदी का आहरण किया जाता है। इस विमर्श आलेख के लिए भारत में भुगतान प्रणालियों को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है
 - i. <u>निधि अंतरण भुगतान प्रणाली</u> ऐसी प्रणाली जो एक खाते से दूसरे ऐसे खाते में अंतरण की सुविधा दी जाती है, जिसे आरंभकर्ता ग्राहक द्वारा निर्धारित किया जाता है [जिसे हम व्यक्ति-से-व्यक्ति का (पी2पी) लेन-देन कहते हैं]; और

²रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रभार।

¹सरकार अधिदेशित प्रभार।

³ यहां खाते का आशय है बैंक का खाता या किसी प्रीपेड भुगतान युक्ति (पीपीआई) से जुड़ा हुआ कोई खाता।

- ii. <u>व्यापारी भुगतान प्रणाली</u> 4 ऐसी प्रणाली जो सामान या सेवाएं 5 प्राप्त करने के लिए भुगतान में सुविधा देती हैं [जिसे व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) **लेन-देन** कहते हैं]।
- 3.2. <u>निधि अंतरण भुगतान प्रणालियां</u>: वास्तविक समय में सकल निपटान (आरटीजीएस); राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) देश में विद्यमान निधि अंतरण की प्रमुख विशिष्ट प्रणालियां हैं।
- 3.3. <u>व्यापारी भुगतान प्रणालियां</u>: कार्ड नेटवर्क और पीपीआई जारीकर्ता देश में महत्त्वपूर्ण व्यापारी भुगतान प्रणालियां हैं। इनके लक्षणों में निम्नलिखित का समावेश है:
 - i. कार्ड नेटवर्क: ये कार्ड आधारित उत्पादों यथा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने में सुविधा देते हैं। कार्ड नेटवर्क भुगतान प्रणाली तीन-पक्षीय या चार-पक्षीय निपटान प्रणाली हो सकती है। कार्ड भुगतान प्रणाली एक कार्ड से दूसरे कार्ड में निधियों के अंतरण की सुविधा भी प्रदान कर सकती है, लेकिन प्रथमतया ये व्यापारिक भुगतान प्रणाली के रूप में ही कार्य करते हैं।
 - ii. **पीपीआई**: ये बैंकों और गैर-बैंक दोनों के द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक अपने उत्पादों के बुके के रूप में अपने कारोबारी खंड की तरह से जारी करते हैं। गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता इस प्रकार के उत्पाद के एकल संचालक होते हैं। कार्ड नेटवर्क के सहयोग से गैर-बैंकों द्वारा ऐसे कार्ड जारी किए जाने की अनुमित प्रदान किए जाने के बाद से कार्ड जारीकर्ता अधिकांश गैर-बैंकों द्वारा प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क के सहयोग से ऐसे कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
- 3.4. एकीकृत भुगतान इन्टरफेस (यूपीआई) एक बहुत ही लोकप्रिय निधि अंतरण प्रणाली है जो काफी सुविधाजनक और तेज है। आरटीजीएस और एनईएफटी भी व्यापारिक भुगतानों में सुविधा देती हैं; लेकिन सामान और सेवाओं की दैनिक खरीद के लिए ये लोकप्रिय चैनल नहीं हैं; क्योंकि (क) आरटीजीएस बड़ी धनराशियों के लिए भुगतान प्रणाली है और मुख्य रूप से इसका उपयोग कारोबार-से-कारोबार को भुगतानों में किया जाता है; और (ख) एनईएफटी तत्काल भुगतान की प्रणाली नहीं है और रकम व्यापारी के खाते में पहुंचने की पृष्टि होने में समय लगता है। इनसे अलग यूपीआई में तत्काल क्रेडिट की सुविधा है, जिसकी वास्तविक समयाविध में पृष्टि भी हो जाती है।

4. भुगतान प्रणालियों का स्वामित्व

4.1 किसी भी भुगतान प्रणाली के साथ जुड़ी हुई लागत / प्रतिलाभ इसकी स्वामित्व संरचना में अंतर्निहित होती हैं। िकसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के उद्यम द्वारा संचालित किसी भी भुगतान प्रणाली के लिए ये महत्त्वपूर्ण कारक होते हैं। तथापि, िकसी केन्द्रीय बैंक के लिए यह सत्य नहीं है। लोक हित और भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने का उद्देश्य केन्द्रीय बैंक की चिंता का विषय हो सकता है, जिससे प्रतिलाभ के विचार को अनदेखा करने के स्थान पर परिचालन की लागत को सहन करना होता है जो तुलनपत्र को प्रभावित करता है। इसलिए भुगतान प्रणाली के परिचालनों से संबंधित लागत और प्रतिलाभ के बारे में किसी भी चर्चा के लिए भुगतान प्रणालियों का स्वामित्व महत्त्वपूर्ण होता है।

3

⁴ इस मामले में व्यापारी कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान हो सकता है, जो दी गई सेवाओं या बेचे गए माल के लिए भुगतान स्वीकार करने हेतु भुगतान सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेते हैं।

⁵ यहां अंतर्निहित निधियों का प्रवाह एक खाते से दूसरे में होता है। लेकिन ग्राहक इस मामले में लाभग्राही के खाते की शिनाख्त नहीं करता है।

⁶ इस आलेख के लिए केन्द्रीय बैंकों को एक अलग वर्ग के रूप में लिया जाता है।

4.2 भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी नामक भुगतान प्रणालियों का स्वामित्व और परिचालन रिज़र्व बैंक के पास है। आईएमपीएस, रूपे, यूपीआई, आदि प्रणालियों का स्वामित्व और परिचालन नेशनल पेमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के पास है जो बैंकों द्वारा प्रवर्तित लाभ-अर्जन नहीं करने वाली संस्था है। कार्ड नेटवर्क, पीपीआई जारीकर्ता, आदि अन्य संस्थाएं अधिकाधिक लाभ-अर्जक निजी प्रतिष्ठान हैं।

5. भुगतान प्रवाह में सहभागी और सेवा प्रदाता

- 5.1 किसी भी निधि अंतरण भुगतान प्रणाली में एक ग्राहक प्रेषक और दूसरा ग्राहक प्राप्तकर्ता के रूप में होता है जो क्रमशः आरंभकर्ता और लाभभोगी कहे जाते हैं। व्यापारिक भुगतान प्रणाली में आदाता ग्राहक और प्राप्तकर्ता व्यापारी दो समनुरूपी पक्ष होते हैं। दोनों ही प्रकार की भुगतान प्रणालियों में भुगतान का प्रवाह कई सेवा प्रदाताओं से होकर जाता है जो भुगतान में सुविधा प्रदान करते हैं।
- 5.2 प्रेषक ग्राहक और प्राप्तकर्ता ग्राहक के अलावा किसी भी निधि अंतरण प्रणाली में प्रेषक बैंक, प्राप्तकर्ता बैंक और केन्द्रीय प्रणाली होती है। जब बैंक भी इसमें उप-सदस्यों के रूप में सहभागिता करते हैं तो इसके और भी संस्तर बन सकते हैं।
- 5.3 एक व्यापारिक भुगतान प्रणाली में भुगतान साधनों के जारीकर्ता, भुगतान अधिग्राही और पीएसओ ये तीन महत्त्वपूर्ण भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) होते हैं। िकसी विशिष्ट व्यापारिक भुगतान लेन-देन की प्रोसेसिंग में भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच में या सर्विसिंग में मध्यस्थों के बहुत से संस्तर होते हैं। व्यापारिक भुगतानों में सुविधा देने वाली तीन पक्षीय प्रणाली और चार-पक्षीय प्रणाली के लिए यह सत्य है। इन मध्यस्थों में विशुद्ध रूप से भुगतान को प्रोसेस करने वाले (तकनीकी सेवा) और वे शामिल हैं जो भुगतानों के प्रवाह में निधियों को सीधे ही इन्टरपोज करते हैं और निधियों का रखरखाव करते हैं। इस आलेख में मध्यस्थों के परावर्ती वर्ग को ही शामिल किया गया है।
- 5.4 पीएसपी और मध्यस्थ; तथा भुगतान लेन-देन में उनकी विशिष्ट भूमिका निम्नानुसार है:
 - i. पीएसओ⁸: इनमें कार्ड नेटवर्क, एनपीसीआई (आईएमपीएस / रूपे / यूपीआई प्रणाली परिचालक) और पीपीआई जारीकर्ता शामिल हैं। ये भुगतान प्रणालियों का नियोजन करके उपलब्ध कराते हैं, यह प्रणाली पी2पी और प2एम भुगतान लेन-देन की प्रोसेसिंग और निपटान में सुविधा देती है। भुगतान प्रणालियों की नियमावली और कार्यपद्धतियों का निर्धारण इन परिचालकों द्वारा (रिज़र्व बैंक की निगरानी में) किया जाता है।
 - ii. भुगतान साधन जारीकर्ता: इनमें बैंक / गैर बैंक प्रतिष्ठान शामिल हैं जो कार्ड और वैलेट जैसे भुगतान साधनों को जारी करते हैं।
 - iii. भुगतान अधिग्राही: इनमें बैंक / गैर बैंक प्रतिष्ठान होते हैं, जो भुगतान साधनों की स्वीकार्यता को सक्षम करते हैं। ये व्यापारियों (जब ये सीधे ही प्राप्त कर रहे होते हैं) या मध्यस्थों (जब किसी मध्यस्थ के माध्यम से कोई व्यापारी इस भुगतान प्रणाली में प्रविष्ट होता है) को निधियों के निपटान में सक्षम बनाते हैं।

⁸ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अनुसार 'सिस्टम प्रदाता' का आशय है ऐसा व्यक्ति जो प्राधिकृत भुगतान प्रणाली का परिचालन करता है। इस विमर्श आलेख में 'प्रदाता' और 'परिचालक' शब्दों का प्रयोग अदल-बदल कर किया गया है।

⁷ चार-पक्ष वाले कार्ड और यूपीआई प्रणाली के मामले में यह स्थिति रहती है। तीन-पार्टी वाली कार्ड प्रणाली में कार्ड जारीकर्ता और अधिग्राही

iv. <u>मध्यस्थ</u>: ये भुगतान संकलनकर्ता (पीए) या भुगतान गेटवे (पीजी) होते हैं जो व्यापारी की अभिग्राही संरचना का एक हिस्सा हैं।

6. भुगतान प्रणालियों में प्रभारों के प्रकार


- 6.1. भुगतान प्रणाली में भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा डिजिटल लेनदेन की सुविधा देने के लिए प्रयोक्ताओं (आरंभकर्ताओं या लाभभोगियों) पर लगाई जाने वाली लागत को प्रभार कहते हैं। भुगतान प्रणाली के प्रकार पर निर्भर करते हुए इन प्रभारों को आरंभकर्ता या लाभभोगियों से वसूल किया जाता है।
- 6.2. निधि अंतरण भुगतान प्रणाली में प्रभारों को सामान्यतया भुगतान का अनुदेश आरंभ करने वाले से वसूल किया जाता है। सामान्तया प्रेषण के लिए निश्चित की गई रकम के साथ ही इसे भी जोड़ कर लगा दिया जाता है। इसके अलावा यह रकम सामान्यतया एक-समान होती है, अर्थात अंतरित रकम पर ध्यान दिए बिना ही इसे प्रति-लेन-देन पर लगाया जाता है।
- 6.3. व्यापारिक भुगतान प्रणाली के मामले में इन प्रभारों को सामान्यतया रकम के अंतिम प्राप्तकर्ता (अर्थात व्यापारी से) से वसूल किया जाता है। सामान्यतया यह कार्य व्यापारी द्वारा प्राप्य रकम में से इसकी कटौती करते हुए किया जाता है, अर्थात व्यापारी द्वारा प्राप्य रकम में मितीकाटा। लेन-देन के लिए प्रयुक्त चैनल के आधार पर इन प्रभारों में अंतर भी हो सकता है। एक ऑनलाइन लेन-देन (इन्टरनेट आधारित) पर ऑफलाइन / आमने-सामने के लेन-देन (भौतिक विक्रय स्थल (पीओएस) के टर्मिनल) की तुलना में अधिक प्रभार लगाया जाता है। एक ऑफलाइन / आमने-सामने के लेन-देन की तुलना में ऑनलाइन लेन-देन के लिए जोखिम प्रबंधन की उच्चतर लागत को इस अंतर का कारण बताया जाता है। व्यापारिक भुगतान प्रणाली में आरंभकर्ताओं और लाभभोगियों से वसूल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रभारों का वर्णन निम्नानुसार है:
 - i. व्यापारिक मितीकाटा दर (एमडीआर⁹): अधिग्राही द्वारा रकम के अंतिम प्राप्तकर्ता (अर्थात व्यापारी) से वसूल किए जाने वाले प्रभार को कहा जाता है। यह प्रभार लेन-देन की रकम में से मितीकाटा करते हुए लगाया जाता है और सामान्यतया भुगतान लेन-देन का निपटान करते समय वसूल कर लिया जाता है (बॉक्स 2)। व्यापारिक भुगतान प्रणाली में लगाई गई लागत को वसूल करने के लिए इस तरीके को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है।

अधिग्राहियों द्वारा संकलित एमडीआर का उपयोग भुगतान प्रणाली में पीएसपी (अधिगृहीताओं सहित) और मध्यस्थों को प्रतिपूर्ति देने में किया जाता है। पीएसओ द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर तीनों भुगतान सेवा प्रदाताओं – कार्ड जारीकर्ता, अधिग्राही और कार्ड नेटवर्क (अर्थात पीएसओ) – के बीच इसका संविभाजन किया जाता है, और अधिग्राही और मध्यस्थ के बीच संविभाजन का निर्णय उनके आपसी समझौते के अनुसार किया जाता है।


_

⁹ इसे 'व्यापारी सेवा शुल्क' (एमएसएफ) के नाम से भी जाना जाता है।


बॉक्स 1: कार्ड लेन-देन का प्रवाह



बॉक्स 2: कार्ड लेन-देन का निपटान और सहबद्ध एमडीआर का वितरण



बाक्स 3: एक डेबिट संव्यवहार की प्रोसेसिंग में पीएसपी द्वारा व्यय अनुमानित लागत



- ii. इन्टरचेन्ज: एमडीआर में निकाले गए और भुगतान साधन के जारीकर्ता के साथ साझा किए गए प्रभारों के अंश को इन्टरचेन्ज कहा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है इस घटक की प्रमात्रा का निर्धारण पीएसओ द्वारा निर्धारित नियमों द्वारा किया जाता है। डेबिट कार्ड के मामले में यह इन्टरचेन्ज ही जारीकर्ता की परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति कर देता है और उसे आय प्रदान करता है। क्रेडिट कार्ड के मामले में इसमें ब्याज के घटक की वसूली अतिरिक्त घटक के रूप में रहती है अर्थात ब्याज रहित अविध के दौरान ग्राहक को दिए गए ब्याज रहित क्रेडिट के लिए ब्याज की वसूली (व्यापारी से) की जाती है।
- iii. **सुविधा शुल्क**: व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं / ऑनलाइन प्लेटफार्मों के कुछ वर्गों द्वारा व्यापारिक भुगतान लेन-देन के लिए आरंभकर्ता ग्राहकों पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है जिसे सुविधा शुल्क कहते हैं। यह प्रभार ऑनलाइन भुगतान सुविधा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है और यह भुगतान साधन अज्ञेय होती है। सामान्यतया यह शुल्क ली गई सेवा की 'प्रति इकाई' पर लगाया जाता है।
- iv. सरचार्ज: किसी विशेष भुगतान माध्यम के जरिए लेन-देन की प्रोसेसिंग के लिए व्यापारी द्वारा ग्राहक पर यह प्रभार लगाया जाता है। कुछ व्यापारी उच्चतर एमडीआर व्यय का उल्लेख करते हुए डिजिटल भुगतान पर सरचार्ज लगाते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड लेन-देन के मामले में। तथापि, सरचार्ज की यह रकम संबंधित एमडीआर व्ययों से अलग हो सकती है।

7. भुगतान प्रणालियों पर प्रभारों के लिए नियामक और सरकार का हस्तक्षेप

7.1. किसी भुगतान प्रणाली में लगाए जाने वाले प्रभारों का नियंत्रण, दोनों ही प्रकार की भुगतान प्रणालियों के संबंध में, सामान्यतया पीएसओ के नियमों द्वारा किया जाता है। व्यापारिक भुगतान प्रणाली में, सामान्यतया, पीएसओ नियमों से ही अलग-अलग पीएसपी के बीच प्रभारों के संविभाजन की पद्धित और प्रकार का निर्णय किया जाता है। इसके अलावा मध्यस्थों और अधिग्राही के बीच हुए समझौते के अनुसार मध्यस्थों के लिए संविभाजन पर निर्णय किया जाता है। निधि अंतरण भुगतान प्रणाली में आरंभकर्ता ग्राहक पर आरंभकर्ता पीएसपी द्वारा अंतरण की रकम के लिए अतिरिक्त रूप से प्रभार लगाया जाता है।

- 7.2. कुशल और व्यापक रूप से स्वीकार्य भुगतान प्रणालियां किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों की व्यापक स्वीकार्यता के लिए सुरक्षा और निरापदता के साथ प्रभारों का औचित्यपूर्ण होना भी एक महत्त्वपूर्ण मानदंड है। भुगतान प्रणालियों की व्यापक स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और नियामकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में भुगतान प्रणाली में टकराव के मुद्दों में एक यह भी रहा है कि इनके प्रयोग पर ऊंचे प्रभार लगाए जाते हैं। इस बारे में विगत वर्षों के दौरान रिज़र्व बैंक और सरकार ने इन प्रभारों को नीचे लाने के लिए हस्तक्षेप किए हैं। डेबिट कार्डों पर एमडीआर को नीचे लाने के लिए हस्तक्षेप किए हैं। डेबिट कार्डों पर एमडीआर को नीचे लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। पीएसओ द्वारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर एक ही स्तर का एमडीआर लगाने की अनुचित परिपाटी के कारण भी यह जरूरी हो गया था। पीएसओ टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड की स्वीकार्यता में ये ऊंचे प्रभार बाधा बन रहे थे और इनका उपयोग स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) से नकदी निकालने तक ही सीमित हो गया था।
- 7.3. डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ाने के लिए और कम मूल्य वाले लेन-देन की स्वीकार्यता में सुविधा देने के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों के पास, रिज़र्व बैंक ने डेबिट कार्ड लेन-देन के लिए 1 सितम्बर 2012 से अधिकतम एमडीआर को निर्धारित करके रु. 2,000/- तक लेन-देन के मूल्य के 0.75% पर और रु. 2,000/- से अधिक के लिए 1% कर दिया। यह निर्धारण 31 दिसम्बर 2016 तक प्रभावी रहा। इसके बाद 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए रु. 2,000/- तक के डेबिट कार्ड लेन-देन के लिए न्यूनतम एमडीआर (रु. 1,000/- तक के संव्यवहारों के लिए लेन-देन के मूल्य का अधिकतम 0.25% और रु. 1,000/- से अधिक और रु. 2,000/- तक के लिए अधिकतम 0.5%) का निर्धारण किया गया।
- 7.4. डेबिट कार्ड **लेन-देन** के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2018 से अधिकतम एमडीआर का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :

क्र. सं.	व्यापारी वर्ग	डेबिट कार्ड लेन-देन के लिए अधिकतम एमडीआर (लेन-देन मूल्य के % के रूप में) भौतिक पीओएस अवसंरचना त्वरित प्रतिसाद (क्यूआर) कोड (ऑन लाइन कार्ड लेन-देन आधारित कार्ड स्वीकार्यता सहित)	
1.	छोटे व्यापारी (विगत वित्तीय वर्ष	0.40% से अधिक नहीं (प्रति	0.30% से अधिक नहीं (प्रति
	के दौरान जिनका टर्नओवर रु.20	लेन-देन रु.200 की एमडीआर	लेन-देन रु.200 की
	लाख तक रहा)	सीमा)	एमडीआर सीमा)
2.	अन्य व्यापारी (विगत वित्तीय वर्ष	0.90% से अधिक नहीं (प्रति	0.80% से अधिक नहीं (प्रति
	के दौरान जिनका टर्नओवर रु.20	लेन-देन रु.1000 की एमडीआर	लेन-देन रु.1000 की
	लाख से अधिक रहा)	सीमा)	एमडीआर सीमा)

7.5. व्यापारी के टर्नओवर के आधार पर विभेदित एमडीआर का निर्धारण किया गया ताकि छोटे व्यापारियों के हितों का बचाव किया जा सके क्योंकि इनके पास बड़े अधिग्राहियों के साथ मोलभाव करने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा यह भी विचार किया गा कि निश्चित दर की बजाय अधिकतम दर का निर्धारण करने से विभिन्न स्टेकधारकों के लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर आदर्श दरों के लिए बाजार का अन्वेषण भी हो सकेगा।

- 7.6. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) में वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से शामिल की गई रखी गई धारा 10ए के अनुसार निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों का प्रयोग करते हुए भुगतान करने अथवा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभार नहीं लगाएगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई (दोनों ही एनपीसीआई द्वारा परिचालित) को निश्चित भुगतान माध्यमों के रूप में अधिसूचित किया है और शून्य प्रभारों की व्यवस्था 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई है।
- 7.7. इसके बाद, रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई लेन-देन के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु.1,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भी इसी प्रकार की वित्तीय मदद घोषित की गई है। इससे पहले कैलेन्डर वर्ष 2018 और 2019 के दौरान रु. 2,000/- तक के लेन-देन के लिए सभी डेबिट कार्डों, भीम यूपीआई और आधार भुगतान लेन-देन पर बैंकों को प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने 27 दिसम्बर 2017 को राजपत्र में एक अधिसूचना भी जारी की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटे मूल्य के भुगतान स्वीकार करने के लिए व्यापारियों पर प्रभार नहीं लगाया जाता है।

ख. प्रभारों और संबंधित पहलुओं के बारे में उत्पाद-अनुसार विचार-विमर्श

विभिन्न भुगतान प्रणालियों में प्रभारों, इन प्रभारों के औचित्य, वैकल्पिक दृष्टिकोणों, आदि के बारे में विचार-विमर्श को आगामी अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक विमर्श के बाद कुछ प्रश्न भी उठाए गए हैं ताकि स्टेकधारकों और जनता के दृष्टिकोण / फीडबैक हासिल किए जा सकें। विचार-विमर्श और प्राप्त इनपुट का प्रयोग आगे चलकर नीतिगत हस्तक्षेपों को तैयार करने में किया जाएगा।

8. निधि अंतरण भुगतान प्रणाली


8.1. निधि अंतरण में सुविधा के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस भारत में उपलब्ध प्रमुख भुगतान प्रणालियां हैं। इन प्रणालियों में प्रभारों की वर्तमान स्कीम, प्रणाली परिचालकों की नीति और विनियामक हस्तक्षेप, यदि कोई हों, आदि पर आगे विचार-विमर्श किया गया है। यूपीआई पर अलग से विचार-विमर्श किया गया है, यह निधि अंतरण के साथ-साथ व्यापारिक भुगतान प्रणाली भी है।

8.2. तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस)

8.2.1. भारतीय रिज़र्व बैंक इस आरटीजीएस का स्वामी, परिचालक होने के साथ-साथ इसका नियामक भी है। नियामक के रूप में यह प्रणालीगत प्रकृति के नियमों का निर्धारण करता है, जिनका सामान्य प्रभाव मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजारों की अवसंरचना और भुगतान परितंत्र पर पड़ता है। आरटीजीएस विनियमों में प्रत्यक्ष सदस्यों पर मासिक सदस्यता शुल्क भी लगाया गया है। इनमें भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिदेश भी दिया गया है कि आरटीजीएस में लेन-देन की प्रोसेसिंग करने के लिए सहभागी बैंकों / गैर बैंकों 10 पर प्रभार

¹⁰ रिज़र्व बैंक अधिसूचना दिनांक 28 जुलाई 2021 के माध्यम से आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी केन्द्रीकृत भुगतान प्रणालियों का सदस्य बनने के लिए गैर-बैंकों को भी अनुमति दी गई है। गैर-बैंकों की सदस्यता का प्रकार बैंकों के लिए उपलब्ध सदस्यता से अलग है। क्लीयरिंग हाउस और प्राथमिक डीलर भी प्रतिबंधित गैर-बैंक सदस्य होते हैं।

लगाए। यद्यपि इन विनियमों में सामर्थ्यकारी उपबंध हैं, तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2019 से अपने सदस्यों पर प्रोसेसिंग प्रभारों और समय-घटबढ़ प्रभारों लगाना बंद कर दिया।



बॉक्स 4: आरटीजीएस में लेन-देन का प्रवाह

- 8.2.2. आरटीजीएस विनियमावली में प्रत्यक्ष सहभागियों को अनुमित है कि वे अपने माध्यम से ली गई सेवाओं के लिए ग्राहकों (विप्रेषकों और लाभग्राहियों) पर प्रभार लगाएं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि आवक संव्यवहारों के लिए सदस्यों द्वारा कोई प्रभार नहीं लगाया जा सकता है। निर्गामी लेन-देन के लिए सदस्यों द्वारा लगाए जाने वाले अनुमत अधिकतम प्रभार (टैक्स, यदि कोई हों, शामिल नहीं) निम्नानुसार हैं:
 - i. रु.2 लाख से रु.5 लाख तक के लेन-देन के लिए: रु.25/-; और
 - ii. रु.5 लाख से अधिक के लेन-देन के लिए: रु.50/-
- 8.2.3. इसके अलावा समग्र सीमा के अधीन रहते हुए अपने ग्राहकों के बारे में अपनी-अपनी आंतरिक नीति का अनुसरण करने के लिए बैंक मुक्त हैं। कुछ बैंक ऑनलाइन सृजित आरटीजीएस लेन-देन के लिए कोई प्रभार नहीं लगा रहे हैं। कुछ बैंकों द्वारा शाखा चैनल के माध्यम से सृजित लेन-देन के लिए लगाए जाने वाले प्रभार ऊपर बताए गए प्रभारों से कम ही हैं। भुगतान प्रणालियों के नियामक की अपनी भूमिका में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निर्णयों का अधिदेश इस दृष्टिकोण से दिया गया कि बैंकों द्वारा इन प्रणालियों का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि डिजिटल लेन-देन को बढ़ाया जा सके।
- 8.2.4. परिचालक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए यह उचित होगा कि आरटीजीएस में अपने बड़े निवेश और परिचालनगत व्यय की लागत को वसूल करें, क्योंकि इसमें जनता के धन का व्यय भी निहित है। इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा आरटीजीएस में लगाए गए इन प्रभारों का आशय अर्जन का उपाय बनाना नहीं है। प्रत्यक्ष सहभागियों पर समय में देरी के लिए लगाए जाने वाले प्रभार (वापस लिया गया) भी प्रणाली में नकदी प्रबंधन का उपाय भी थे क्योंकि उच्चतर प्रभारों का आशय लेन-देन को दिन में आगे बढ़ा देने से रोकने के लिए था। इसके माध्यम से रिज़र्व बैंक ने दिन के अधिकतम व्यस्त समय के दौरान अधिक लेन-देन की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन दिया।

8.2.5. आरटीजीएस एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से बड़े मूल्य के लेन-देन में किया जाता है और बैंकों और बड़े संस्थानों / व्यापारियों द्वारा इसका उपयोग प्रमुखतया तत्काल निपटान में सुविधा के लिए किया जाता है। क्या ऐसी प्रणाली में अपेक्षित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक मुफ्त लेन-देन की अनुमित प्रदान करें, जिसमें बड़ी संस्थाएं सदस्य के रूप में हैं? क्या भारतीय रिज़र्व बैंक अवसंरचना और परिचालनों पर अपनी लागत को वसूल नहीं करना चाहिए? इसके अलावा क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे प्रभारों पर अधिदेश देना चाहिए जो सहभागियों द्वारा अपने ग्राहकों पर लगाए जाते हैं? इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस प्रणाली के प्रयोक्ता इस प्रणाली और पद्धति की अच्छी जानकारी रखने वाले ग्राहक हैं, तो क्या प्रभारों का निर्धारण प्रत्यक्ष सहभागियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए?

8.2.6. फीडबैक के लिए प्रश्न

- ं. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को आरटीजीएस लेन-देन के लिए सदस्यों पर प्रभार नहीं लगाने की नीति
 की समीक्षा करनी चाहिए?
- ii. क्या समय-परिवर्ती प्रभारों को पुन: आरंभ किया जाना चाहिए?
- iii. आरटीजीएस **लेन-देन** के लिए क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे प्रभार निर्धारित करने चाहिए जो सदस्यों द्वारा ग्राहकों पर लगाए जा सकते हों, या इन्हें बाजार-संचालित होना चाहिए?

8.3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी)

8.3.1. रिज़र्व बैंक एनईएफटी का स्वामी, परिचालक और साथ-ही-साथ नियामक भी है। नियामक के रूप में यह एनईएफटी के लिए नियमों का निर्धारण करता है। वर्तमान में इन नियमों में रिज़र्व बैंक को यह अधिदेश प्रदान किया गया है कि एनईएफटी के माध्यम से लेन-देन की प्रोसेसिंग के लिए सहभागी बैंकों पर प्रभार लगाए। इसके अलावा इन नियमों में प्रत्यक्ष सहभागियों को यह भी अनुमित है कि ये अपने माध्यम से ली गई सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों (विप्रेषक और लाभग्राही) पर प्रभार लगाएं।

ग्राहक संव्यवहार आरंभ करता है। रिजर्व बैंक तदनुसार, खाते में से निधियों को लाभग्राही निधियों की कटौती कर एनईएफटी का के खाते में क्रेडिट कर ली जाती है। दिया जाता है। परिचालन करता है। आरंभकर्ता ग्राहक आरंभकर्ता लाभग्राही लाभग्राही रिजर्व बैंक ग्राहक का बैंक ग्राहक का बैंक ग्राहक एनईएफटी संव्यवहारों में निधियों के प्रवाह का उदाहरण

बॉक्स 5: एनईएफटी में लेन-देन का प्रवाह

8.3.2. एनईएफटी एक ऐसी प्रणाली है जो सभी दिन चौबीसों घन्टे, अर्थात 24x7x365 आधार पर परिचालित रहती है। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने सदस्य बैंकों पर कोई प्रोसेसिंग प्रभार नहीं लगाता है और इसने बैंकों को सुचित किया है कि वे भी एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन निधि अंतरण आरंभ

करने वाले अपने बचत बैंक खाता धारकों पर कोई प्रभार नहीं लगाएं। ये उपाय निधियों के अंतरण हेतु भुगतान के डिजिटल माध्यम के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए हैं। तथापि, यह देखते हुए कि अपनी शाखाओं से इन लेन-देन में सुविधा देने हेतु बैंकों को अतिरिक्त लागत और श्रमिक-घन्टे लगाने होते हैं, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित के अनुसार अधिकतम ग्राहक प्रभारों (टैक्सों, यदि कोई हों, के अलावा) का निर्धारण एनईएफटी का प्रयोग करते हुए शाखाओं के माध्यम से किए जाने वाले जावक लेन-देन के लिए किया है:

- i. रु.10,000 तक के लेन-देन के लिए: रु.2.50/-;
- ii. रु.10,000 से अधिक और रु.1 लाख तक के लेन-देन के लिए: रु.5/-;
- iii. रु.1 लाख से अधिक और रु.2 लाख तक के **लेन-देन** के लिए: रु.15/-; और
- iv. रु.2 लाख से अधिक के लेन-देन के लिए: रु.25/-
- 8.3.3. एनईएफटी **लेन-देन** की प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित अवसंरचना के कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए बैंकों को लागत लगानी पड़ती है। उनपर निश्चित और आवर्ती दोनों ही तरह की लागत आती है तािक यह सुनिश्चित हो सके कि यह अवसंरचना निरापद और सुरक्षित है, और भुगतानों की प्रोसेसिंग समयबद्ध रूप से की जाती है। ऐसे लेन-देन की प्रोसेसिंग में सहायता के लिए बैंकों को पर्याप्त श्रमशक्ति / संसाधनों का नियोजन करने की जरूरत होती है जिसमें लागत भी निहित होती है।
- 8.3.4. परिचालक के रूप में अवसंरचना के कार्यान्वयन और इसके परिचालन के लिए रिज़र्व बैंक ने निवेश किया है। इसलिए, यद्यपि रिज़र्व बैंक एनईएफटी के परिचालन में लाभ के उद्देश्य से प्रभावित नहीं हो सकता है तथापि समुचित लागत की वसूली को न्यायोचित कहा जा सकता है। भले ही इस अवसंरचना को लोक हितैषी के रूप में माना जा सकता है और भुगतानों को डिजिटल तरीके में बदलने के व्यापक हित का पूरा किया जाता है, तो क्या कोई भी प्रभार नहीं लगाने के दृष्टिकोण को आरंभिक अविध के बाद में बनाए रखना चाहिए?

8.3.5. फीडबैक के लिए प्रश्न

- क्या एनईएफटी के माध्यम से प्रोसेस किए गए लेन-देन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सदस्य बैंकों पर प्रभार लगाए जाने चाहिए?
- ii. क्या बैंकों को यह अनुमित दी जानी चाहिए कि वे अपने ग्राहकों पर एनईएफटी लेन-देन हेतु प्रभार लगाएं, चाहे इसे ऑनलाइन किया गया हो या अन्य प्रकार से?
- iii. क्या एनईएफटी **लेन-देन** के लिए बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक को करना चाहिए या ये बाजार संचालित होने चाहिए?

8.4. तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस)

8.4.1. एनपीसीआई द्वारा परिचालित आईएमपीएस निधि अंतरण की एक प्रणाली (पुश प्रणाली) है, जो 24x7x365 कार्य करती है। यह प्रणाली ₹5 लाख तक की सीमा तक निधि अंतरण की सुविधा तत्काल समय के आधार पर देती है। आईएमपीएस के परिचालन और इसमें लेनदेन की सुविधा देने की लागत में अन्य के साथ-साथ परिचालन लागत और निपटान जोखिम प्रबंधन की लागत भी शामिल है। आईएमपीएस में लगाए जाने वाले प्रभार इन्हीं लागतों के कारण हैं।

ग्राहक संव्यवहार आरंभ करता है। तदनसार, खाते निधियों को लाभग्राही एनपीसीआई में से निधियों की कटौती के खाते में क्रेडिट कर आईएमपीएस का कर ली जाती है। दिया जाता है। परिचालन करता है। आरंभकर्ता ग्राहक आरंभकर्ता लाभग्राही लाभग्राही एनपीसीआई ग्राहक का बैंक ग्राहक का बैंक ग्राहक आईएमपीएस संव्यवहारों में निधियों के प्रवाह का उदाहरण

बॉक्स ६: आईएमपीएस में लेन-देन प्रवाह

- 8.4.2. आरटीजीएस में प्रत्येक लेन-देन का वास्तविक निपटान केन्द्रीय बैंक के धन में से करने की सुविधा दी जाती है, इससे अलग आईएमपीएस के निपटान आस्थिगित निवल के आधार पर होती हैं। वास्तविक-समय में भुगतानों और आस्थिगित निवल निपटानों से होने वाले जोखिमों से बचाव के लिए एनपीसीआई ने निपटान जोखिम प्रबंधन व्यवस्था तैयार की है जैसे कि निपटान गारंटी निधि रखी है (जिसके लिए निधि की व्यवस्था सहभागी बैंकों और एनपीसीआई की अपनी निधियों में से की जाती है), क्रेडिट व्यवस्था प्राप्त करना, आदि। आईएमपीएस प्रणाली में सहभागिता करने के लिए प्रत्यक्ष सहभागी भी एनपीसीआई में रखी हुई अपनी निधियों की लागत के रूप में इस प्रणाली में लागत लगाते हैं।
- 8.4.3. सहभागी बैंक द्वारा आईएमपीएस में लेन-देन आरंभ करने वाले पर प्रभार लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ एनपीसीआई परिचालन की अपनी लागत को वसूल करने के लिए सहभागी बैंकों पर लेन-देन शुल्क लगाता है।
- 8.4.4. बिना किसी प्रभार के निधियों के अंतरण की सुविधा देने वाली अन्य प्रणालियों की उपलब्धता के बावजूद आईएमपीएस लेन-देन में निरंतर बढ़ोतरी हुई है।
- 8.4.5. अभिगम की दृष्टि से यूपीआई की तुलना में आईएमपीएस लाभदायक है। यूपीआई के लेनदेन ग्राहकों के लिए मोबाइल आधारित होते हैं, जबिक आईएमपीएस के लेन-देन अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हुए भी किए जा सकते हैं। आईएमपीएस में बैंकों के अलावा पीपीआई जारीकर्ताओं जैसे गैर-बैंक प्रतिष्ठानों को सहभागिता की अनुमित दी जाती है, उन्हें अपने वालेट से लाभग्राही के बैंक खातों में धन-प्रेषण की सुविधा दी जाती है।

8.4.6. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या आईएमपीएस लेन-देन हेतु प्रभारों का नियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाना चाहिए?
- क्या आईएमपीएस पर लगाए जा सकने वाले प्रभारों की उच्चतम सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित कर दी जानी चाहिए?

9. व्यापारिक भुगतान प्रणालियां

9.1. भारत में व्यापारिक भुगतानों के लिए उपलब्ध भुगतान साधनों में डेबिट कार्डों, क्रेडिट कार्डों और पीपीआई का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इन उत्पादों पर प्रभारों की वर्तमान स्कीम, प्रणाली परिचालकों और सहभागियों की नीतियों, नियामक हस्तक्षेपों, यदि कोई हैं, पर आगे चर्चा की गई है। यद्यपि ये साधन अनेक बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, तथापि कार्ड नेटवर्क पर अपनी आश्रितता के कारण लेन-देन के लिए निर्धारित प्रभारों के लिए ये सभी एक-समान नीतियों का अनुसरण करते हैं। यहां की जा रही चर्चा किसी खास पीएसओ पर केन्द्रित नहीं है बल्कि इसका आशय सभी जारीकर्ताओं की नीतियों के संगत अंशों को समाहित करना है।

9.2. डेबिट कार्ड

- 9.2.1. डेबिट कार्ड एकमात्र व्यापारिक भुगतान साधन है, जिसके संबंध में व्यापारियों पर आने वाली लागत को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने हस्तक्षेप किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिज़र्व बैंक ने 1 सितम्बर 2012 से डेबिट कार्डों के लिए एमडीआर पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी है। इसकी अनिवार्यता डेबिट कार्ड की एमडीआर को भी क्रेडिट कार्ड की तरह से ही तय करने के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों की नीति के अनुचित होने के कारण हो गई थी। हस्तक्षेप का आशय यह था कि छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों के पास, डेबिट कार्डों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।
- 9.2.2. डेबिट कार्डों के लिए एमडीआर की वर्तमान व्यवस्था चार वर्ष से भी ज्यादा से लागू है। उस समय वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) में टर्नओवर के अनुसार व्यापारिक टर्नओवर को रु.20 लाख (अनुच्छेद 7.4) रखा गया था। एक विकल्प यह है कि 'लघु व्यापारियों' के लिए जीएसटी में टर्नओवर की अपेक्षाओं के अनुसार ही टर्नओवर की आरंभिक सीमा को रु.20 लाख से बढ़ाकर रु.40 लाख कर दिया जाए, और 'अन्य व्यापारियों' के लिए अधिकतम एमडीआर को कम कर दिया जाए। विकल्प के रूप में दोनों व्यापारिक श्रेणियों को मिलाते हुए सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए अधिकतम एमडीआर निर्धारित की जा सकती है।
- 9.2.3. डेबिट कार्ड लेनदेन स्वीकार करने के लिए छोटे व्यापारियों पर आने वाली लागत काफी कम हो चुकी है। तथापि, डिजिटल लेन-देन का स्वीकार करने पर आने वाली लागत के बारे में रिज़र्व बैंक को व्यापारियों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इनमें से बहुत सी शिकायतें अधिग्रहण प्रकिया में मध्यस्थों द्वारा निभाई जा रही भूमिका के कारण है।
- 9.2.4. यहां विचार किए जाने वाले प्रश्न उठाए जाने वाले उन कदमों के बारे में हैं जो व्यापारियों पर आने वाली लागत और भुगतान प्रणाली प्रदाताओं/मध्यस्थों के लिए प्रतिलाभ को संतुलित करना सुनिश्चित करने के बारे में हैं। एमडीआर में नियंत्रित कटौती इस परितंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है और इन सेवाओं को प्रदान

करने वाले प्रतिष्ठानों की लाभदेयता को प्रभावित कर सकती हैं। इससे भुगतानों की स्वीकार्यता के क्षेत्र में अवसंरचना और नवोन्मेषों में निवेश भी प्रभावित होगा। इसलिए यह प्रस्तावित है कि एमडीआर में और भी कमी करने के अधिदेश की बजाय कि भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के बीच प्रभारों के वितरण के बारे में अपनाई जा रही स्कीम की समीक्षा करना अनिवार्य है। इस बारे में चर्चा निम्नानुसार है:

i. इन्टरचेन्ज नियंत्रण: इन्टरचेन्ज यह एमडीआर का वह घटक होता है जो अधिग्राही प्रतिष्ठान द्वारा जारीकर्ता प्रतिष्ठान को देय होता है, इसे पीएसओ द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्ड जारी करने के लिए अधिकाधिक जारीकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए पीएसयू द्वारा प्रयुक्त प्रमुख प्रोत्साहनों में से एक इन्टरचेन्ज ही होता है। उच्चतर इन्टरचेन्ज से कार्ड जारीकर्ताओं को अधिक आय मिलती है, इस प्रकार उन्हें अधिकाधिक कार्ड जारी करने का प्रोत्साहन मिलता है। एमडीआर (अधिग्रहीता के माध्यम से व्यापारी से लिया गया) में से जारीकर्ता को देय यह घटक किसी भी व्यापारी से वसूल किए जा सकने वाले एमडीआर की तुलना में अधिग्राही की परिवर्तनशीलता को कम करते हैं, क्योंकि वसूला गया एमडीआर जारीकर्ता को देय इन्टरचेन्ज की तुलना में कम तो नहीं ही हो सकता है। इसलिए इन्टरचेन्ज के विनियमन में एमडीआर प्रभारों का निर्णय करने की लोचशीलता अधिग्राहियों को दी जा सकती है। इसके अलावा अपनी जगह बनाने की प्रतिस्पर्धा अधिग्राही पर आने वाली लागत को नीचे ला सकते हैं। इस प्रकार यदि इन्टरचेन्ज को नियंत्रित कर दिया जाता है तो व्यापारी और अधिग्राही आपस में अधिग्रहण प्रभारों के बारे में मोल-भाव कर सकते हैं।

इस विचारधारा की कमी यह है कि बहुत थोड़े से अधिग्रहीता बैंक हैं और हो सकता है कि वे लागत को नीचे नहीं लाएं। इस प्रकार हो सकता है कि व्यापारियों, खासकर छोटे व्यापारियों, से वसूल की जाने वाली रकम पर कोई नियंत्रण नहीं रहे, क्योंकि बड़े व्यापारियों की तुलना में इनके पास विकल्प/मोलभाव की शक्ति कम होती है।

ii. प्रित-लेन-देन शुल्क पर अधिदेश : उदाहरण के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए िकए गए लेन-देन में जारीकर्ता द्वारा लगाई गई लागत आईटी प्रणाली, धोखाधड़ी-जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, समर्थक प्रणालियों और ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन राशियों (जैसे रिवार्ड और लॉयल्टी प्वाइंट) पर आने वाली लागतों तक ही सीमित रहती है। क्रेडिट कार्ड की तरह से डेबिट कार्ड जारीकर्ता को अंतरित निधियों पर कोई लागत नहीं देनी होती है। यह हमेशा ही विपणन लाभ लेता है। इस संबंध में डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए िकया गया लेन-देन सामान्य निधि अंतरण भुगतान लेन-देन के जैसा ही होता है इसमें आस्थिगित निवल निपटान होता है जिसमें व्यापारी को निधियां टी+एन आधार 11 पर मिल जाती हैं। इस विचार के आधार पर डेबिट कार्ड से किए जाने वाले लेन-देन के लिए प्रभारों को भी सामान्य निधि अंतरण भुगतान प्रणाली के तरीके से ही लगाया जाना चाहिए। जारीकर्ता / अधिग्रहीता के लिए लागत आमतौर पर किसी डेबिट कार्ड से हुए लेन-देन के मूल्य पर निर्भर नहीं करती है, लेन-देन की रकम पर ध्यान दिए बिना ही डेबिट कार्ड के सभी लेन-देन के संबंध में प्रभारों को एक-समान रखा जा सकता है। तयशुदा दर की ऐसी व्यवस्था में उच्चतर मूल्य के लेन-देन से मिलने वाला राजस्व वर्तमान में हुए अनुभव की तुलना में न्यूनतर हो सकता है, और

¹¹ कार्ड संव्यवहार का निपटान टी+1 आधार पर हो सकता है। तथापि, व्यापारियों को अधिग्रहीताओं / मध्यस्थों द्वारा टी+एन आधार पर भुगतान किया जाता है, इसमें "एन" का निर्धारण इन प्रतिष्ठानों के साथ व्यापारियों के समझौते से किया जाता है।

न्यूनतर मूल्य के लेन-देन को उच्चतर प्रभारों का सामना करना पड़ सकता है। तथापि, अधिदेशित प्रभारों में भुगतान लेन-देन की प्रोसेसिंग में सुविधा देने में जारीकर्ताओं, अधिग्रहीताओं और भुगतान प्रणाली परिचालकों (बॉक्स 3) पर आने वाली लागत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तदनुसार लेन-देन में निहित रकम के आधार पर संस्तरीय प्रभार संरचना निर्धारित की जा सकती है।

iii. सरकार ने पीएसएस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से रूपे डेबिट कार्ड (और यूपीआई) के लिए शून्य एमडीआर कर दी है, जो 1 जनवरी 2020 से प्रभावी है। इसका अतिरिक्त विवरण अनुच्छेद 7.6 में दिया गया है। विचार-विमर्श का तथ्य यह है कि क्या यह बर्ताव केवल रूपे डेबिट कार्ड के साथ होना चाहिए या सभी डेबिट कार्डों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, या फिर किसी अन्य प्रकार से।

9.2.5. फीडबैक के लिए प्रश्न

- क्या डेबिट कार्ड से लेनदेन पर सामान्य निधि अंतरण लेन-देन की तरह से प्रभार लगाया जाना चाहिए?
- ii. क्या डेबिट कार्डों हेतु एमडीआर को सभी व्यापारियों के लिए एक-समान होना चाहिए (टर्नओवर पर ध्यान दिए बिना)?
- iii. क्या डेबिट कार्ड लेन-देन पर इन्टरचेन्ज का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक को करना चाहिए?
- iv. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को डेबिट कार्ड लेन-देन हेतु एमडीआर का नियमन हटा देना चाहिए और एमडीआर और इन्टरचेन्ज के उचित स्तर का निर्णय स्टेकधारकों पर छोड देना चाहिए?
- v. क्या डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर लेन-देन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में होना चाहिए या लेन-देन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना एक निश्चित रकम होना चाहिए।
- vi. क्या एमडीआर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क से संबद्ध अन्य डेबिट कार्डों की तुलना में रूपे कार्डों को अलग तरीके से लिया जाना चाहिए?
- vii. डिजिटल भुगतानों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दो विकल्पों (एमडीआर को हटाना / कम करना, या कार्डधारकों को लाभ देना) में कौन सा विकल्प अधिक प्रभावी है?

9.3. क्रेडिट कार्ड

9.3.1. क्रेडिट कार्ड भुगतान के ऐसे साधन हैं जो प्रयोक्ता को भुगतान लेन-देन करते समय क्रेडिट सुविधा लेने के लायक बनाते हैं, अर्थात ग्राहक को बिना किसी लागत (ब्याज) के एक खास अविध के लिए निधि मिल जाती है। डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर उच्चतर एमडीआर रहती है। क्रेडिट कार्ड लेन-देन में दो प्रकार की लागत होती है – (क) व्यापारिक संस्था में डिजिटल भुगतान सुविधा देने की लागत और (ख) जारीकर्ता द्वारा ब्याज की छोड़ दी गई लागत (इसमें क्रेडिट जोखिम भी शामिल है)। लागत का प्रथम पहलू,

अर्थात, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए डिजिटल भुगतान में सक्षमता देने की लागत डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए लेन-देन की लागत के समान ही है। तार्किक रूप से प्रभारों के इस अवयव को भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के बीच डेबिट कार्डों के लिए सहमत / अंतिम रूप दिए गए समानुपात में वितरित कर दिया जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेन-देन में प्रमुख विभेदक है क्रेडिट का घटक और इसके चुकता करने में हो सकने वाली चूक का जोखिम। इस लेन-देन में क्रेडिट का घटक केवल कार्ड जारीकर्ता द्वारा ही दिया जाता है और इसलिए इसका ब्याज भी उसी प्रतिष्ठान को देय होना चाहिए।

- 9.3.2. क्रेडिट कार्ड लेन-देन के लिए एमडीआर पर रिज़र्व बैंक ने कोई नियामक अधिदेश जारी नहीं किया और कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस उत्पाद की प्रकृति क्रेडिट से सम्बद्ध है। यद्यपि ब्याज-रहित निधियों को कार्ड धारक प्राप्त करता है, लेकिन इस प्रकार की निधियों की लागत को उच्चतर एमडीआर के रूप में व्यापारी से वसूल किया जाता है। क्रेडिट कार्डों के लिए एमडीआर की प्रकृति पर विचार करते हुए किसी क्रेडिट कार्ड लेन-देन में व्यापारी पर लगाए जाने वाले प्रभारों का आदर्श रूप तो यही होना चाहिए जो इतनी ही कालावधि के लिए बाजार में ब्याज दरों में घटबढ़ को प्रकट करने वाला हो। भगतान प्रणाली परिचालकों / सहभागियों द्वारा इसे समाहित करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था नहीं रखी गई है। यद्यपि कई बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी उच्चतर एमडीआर के रूप में दिखाई दे जाती है. तथापि ब्याज दरों में गिरावट का लाभ न्यूनतर एमडीआर के रूप में व्यापारी के पास पहुंचता प्रतीत नहीं होता है। भारत डेबिट कार्डों का बहुत विशाल बाजार है, जिसे मई 2022 के अंत तक जारी किए जा चुके कार्डों की संख्या के रूप में देखा जा सकता है - ~7.5 करोड़ क्रेडिट कार्डों की तुलना में ~92 करोड़ डेबिट कार्ड। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होने वाले टर्नओवर लगभग एक-समान हैं। यह प्रवृत्ति भारत के लिए खास है और यह हमारे नागरिकों की इस विचारधारा के अनुरूप है कि नियमित जरूरतों के लिए क्रेडिट पर निर्भरता कम ही रहती है। इसके अलावा यह तथ्य भी है कि भारतीय लोग देय तारीख के लिए प्रतीक्षा करने की बजाय क्रेडिट कार्ड की देयता को बहुधा समय से पहले ही चुकता कर देते हैं, यह न्यूनतर एमडीआर या उनके सिबिल स्कोर में दिखाई नहीं देता है। इसके बावजूद, देय भगतान में कोई देरी होने के मामले में, विलम्ब शुल्क, देय रकम पर ब्याज, आदि क्रेडिट कार्ड धारक से लिए जाते हैं।
- 9.3.3. इस पृष्ठभूमि में क्रेडिट कार्ड **लेन-देन** के लिए एमडीआर और इन्टरचेन्ज के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण के बारे में फीडबैक अपेक्षित है:
 - लेन-देन के निष्पादन की लागत को निधियों (क्रेडिट) की लागत से विलग करना : व्यापारी पर केवल भुगतान की सक्षमता देने की लागत के लिए प्रभार लगाया जाए जो डेबिट कार्ड के तुल्य है; लागत के अन्य घटक (अर्थात ब्याज-रहित क्रेडिट प्रदान करने की लागत) की वसूली जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड धारक से अलग से वसूल की जाती है। तथापि, इस परिदृश्य को किसी अन्य अधिकारक्षेत्र में नहीं पाया गया है और यह क्रेडिट कार्डों के प्रयोग में महत्त्वपूर्ण कमी की तरफ ले जा सकता है, जिससे व्यापारियों पर प्रतिकूल (न्यून विक्रय के कारण) प्रभाव पड़ सकता है। यह भी सत्य है कि कुछ व्यापारी क्रेडिट कार्ड प्रयोग के लिए सरचार्ज लगाकर क्रेडिट कार्ड संव्यहार की लागत को वसूल कर लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड भुगतानों की तुलना में नकद भुगतान पर कुछ छूट देते हैं, जिससे ग्राहक नकद भुगतान को चुनता है या फिर लेन-देन स्वीकार करने की लागत उस पर आ जाती है। ऐसी स्थितियों में व्यापारी को ग्राहक से इतनी क्षतिपूर्ति मिल जाती है जो उस व्यापारी के व्ययों से कहीं अधिक होती है।


- ii. कुछ क्रेडिट कार्डों के लिए प्रभार बहुत ही ज्यादा हैं और ब्याज दरों में गिरावट के साथ इनमें कमी नहीं होती है, यह एमडीआर के लिए ऐसा मामला हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड भुगतानों को रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाए। एक तरीका यह भी है कि क्रेडिट कार्ड लेन-देन के एमडीआर को डेबिट कार्ड लेन-देन के एमडीआर के समतुल्य कर दिया जाए (प्रथम लागत), इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर ग्राहक को औसतन 30 दिन की निशुल्क क्रेडिट अवधि मिलती है इसलिए इसमें कुछ बड़े बैंकों में 30 दिवसीय क्रेडिट के लिए औसत दर जोड़ दी जाए (द्वितीय लागत)। विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ बड़े बैंकों की औसत उधार दर के आधार पर नए वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही इस एमडीआर को वर्ष में एक बार सम्पूर्ण उद्योग के लिए रीसेट कर दिया जाए।
- iii. एक और भी मुद्दा है जिस पर विचार-विमर्श होना चाहिए कि क्या इस इन्टरचेन्ज को नियंत्रित करने की जरूरत है। डेबिट कार्डों के तहत बताए गए मुद्दे [अनुच्छेद 9.2.4 (i)] यहां भी उतने ही जायज हैं। कुछ अधिकारक्षेत्र हैं जो डेबिट और/या क्रेडिट कार्डों पर इन्टरचेन्ज (और एमडीआर पर नहीं) पर हस्तक्षेप करते हैं। डेबिट कार्डों या क्रेडिट कार्डों का प्रयोग करते हुए किए गए लेन-देन में शामिल अलग-अलग स्टेकधारकों के हिस्से का समायोजन करने के लिए इन्टरचेन्ज का प्रयोग किया जा सकता है।

9.3.4. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर प्रभार उचित है?
- ii. क्या रिज़र्व बैंक को चाहिए कि क्रेडिट कार्डों पर एमडीआर का नियमन करें?
- iii. क्या एमडीआर के स्थान पर रिज़र्व बैंक को क्रेडिट कार्ड के लिए इन्टरचेन्ज का नियमन करना चाहिए?
- iv. क्या क्रेडिट कार्डों के लिए एमडीआर और इन्टरचेन्ज का नियमन रिज़र्व बैंक को करना चाहिए?

9.4. प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई)

9.4.1. पीपीआई में जितना मूल्य भर दिया जाता है उसके बदले में इनसे वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, धनप्रेषण सुविधा, आदि मिलती है। पीपीआई कार्डों के रूप (प्रीपेड कार्ड) और वालेट के रूप में जारी किए जाते हैं। यदि पूरी तरह से केवाईसी कर ली गई हो तो कार्ड और वालेट के रूप में इन पीपीआई को क्रमशः: प्राधिकृत कार्ड नेटवर्क और यूपीआई के माध्यम से सभी पीपीआई में अंत: प्रचालनीयता की अनुमति है। जब कोई पीपीआई जारीकर्ता अपने पीपीआई का प्रयोग करते हुए किसी व्यापारी से भुगतान स्वीकार करने की व्यवस्था करता है तो यह हमारे-पर लेन-देन बन जाता है (जिसमें पीपीआई जारीकर्ता ऐसे लेन-देन के लिए जारीकर्ता के साथ-साथ अधिग्रहीता के रूप में भी कार्य करता है)।



बॉक्स 7: पीपीआई में लेन-देन का प्रवाह

9.4.2. पीपीआई भी लेन-देन की प्रोसेसिंग के नजिरए से डेबिट कार्ड जैसे ही होते हैं। लेकिन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड केवल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, और पीपीआई बैंकों और गैर-बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। इन साधनों को जारी करने में निहित लागत बैंकों और गैर-बैंकों दोनों के लिए अलग-अलग होती है। गैर-बैंक पीपीआई व्यवसाय का संचालन अलग कार्य के रूप में किया जाता है। वे पीपीआई को जारी करने और लोडिंग के लिए अवसंरचना को परिचालन योग्य बनाने और साथ ही साथ व्यापारियों के पास कार्ड स्वीकार करने वाले स्थल प्रदान करने पर व्यय करते हैं। पूर्ण केवाईसी पीपीआई के संबंध में कार्ड नेटवर्क / यूपीआई के माध्यम से पारस्परिक विनिमय होने से इन प्रतिष्ठानों के लिए व्यापारिक स्वीकार्यता स्थल तैयार करने की लागत घट जाती है। बैंक के संबंध में शाखा नेटवर्क, आईटी, आदि की विद्यमान अवसंरचना का प्रयोग किया जाता सकता है।

9.4.3. पीपीआई के मामले में निधियों को इनपर लोड करने की लागत भी निहित होती है, खासकर तब जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आदि का प्रयोग करते हुए पीपीआई को ऑनलाइन लोड किया जाता है। सामान्यतया इस लागत को पीपीआई जारीकर्ता उठाते हैं और कई बार ग्राहक (उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हुए पीपीआई की लोडिंग – कुछ पीपीआई जारीकर्ता बाजार में यही कार्यप्रणाली अपनाते हैं)। जब किसी बैंक खाते को डेबिट करते हुए पीपीआई को लोड किया जाता है तो ये प्रभार कुछ कम होते हैं (पीपीआई जारीकर्ता और संबंधित बैंक के बीच द्विपक्षीय व्यवस्था में)। लोडिंग की इस लागत के कारण प्रीपेड साधनों के लिए भुगतान प्रणाली परिचालकों द्वारा पीपीआई की एमडीआर को क्रेडिट कार्डों के समरूप रखा जाता है। पीपीआई-आधारित व्यापारिक भुगतानों या निधि अंतरण लेन-देन के लिए प्रभारों के बारे में रिज़र्व बैंक ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।


9.4.4. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या पीपीआई लेन-देन के लिए रिज़र्व बैंक को एमडीआर का नियमन करना चाहिए?
- ii. यह देखते हुए कि पीपीआई के मामले में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो क्या पीपीआई लेन-देन के लिए अधिक एमडीआर लगाना (जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर एमडीआर लगाया जाता है उसी प्रकार से) उचित है?

- iii. क्या पीपीआई का प्रयोग करते हुए व्यापारिक भुगतानों के लिए प्रभारों की संरचना डेबिट कार्डों की तरह होनी चाहिए?
- iv. क्या पीपीआई का प्रयोग करते हुए नकदी निकालने के लिए प्रभारों का नियमन किया जाना चाहिए?

10. एकीकृत भुगतान इन्टरफेस (यूपीआई)

10.1. यूपीआई में निधि अंतरण के साथ-साथ व्यापारिक भुगतान प्रणाली दोनों हैं। यूपीआई के विभिन्न सहभागियों में भुगतानकर्ता पीएसपी, आदाता पीएसपी, विप्रेषक बैंकों, लाभग्राही बैंकों, एनपीसीआई, बैंक खाता धारकों (भुगतानकर्ता और आदाता /व्यापारी) और तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं (टीपीएपी) का समावेश हैं। यह प्रणाली इन सहभागियों के संयोग का प्रयोग करते हुए भुगतानों के निपटान में सुविधा देती है।




बॉक्स 8: यूपीआई में लेन-देन का प्रवाह (भुगतानकर्ता-प्रवर्तित)

- 10.2. रिज़र्व बैंक ने यूपीआई लेन-देन के लिए प्रभारों के बारे में अनुदेश जारी नहीं किए हैं। सरकार ने 1 जनवरी 2020 से यूपीआई लेन-देन के लिए शून्य-प्रभार व्यवस्था का अधिदेश दिया है (अनुच्छेद 7.6)। इसका आशय यह हुआ कि प्रयोक्ताओं और व्यापारियों के लिए समान रूप से यूपीआई के प्रभार शून्य हैं। इस चर्चा पत्र में सर्वसाधारण के फीडबैक को प्रकट करने के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न शामिल किए गए हैं कि इस बारे में क्या पद्धति अपनाई जाए।
- 10.3. जैसा कि इस सम्पूर्ण आलेख में विचार-विमर्श किया गया है कि किसी भी भुगतान प्रणाली में भुगतान सेवा प्रदाताओं को कुछ अर्जन होना चाहिए ताकि इस प्रणाली के सतत परिचालन के लिए नई प्रौद्योगिकी, सिस्टम और प्रोसेस में निवेश की सुविधा रहे। प्रणाली चाहे सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान द्वारा संचालित हो या

निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान द्वारा दोनों के लिए यह तथ्य अनुमेय है। बॉक्स–9 में औसत मूल्य ~₹800 लेते हुए दर्शाया गया है कि यूपीआई से पी2एम संव्यवहार की प्रोसेसिंग में लगभग कितनी लागत निहित होती है।

बॉक्स 9: यूपीआई से पी2एम संव्यवहार की प्रोसेसिंग में स्टेकधारकों द्वारा निकटतम लागत का व्यय



- 10.4. निधि अंतरण प्रणाली के रूप में यूपीआई तत्काल ही निधियों का लेनदेन सुगम करता है। व्यापारिक भुगतान प्रणाली के तौर पर यूपीआई में कार्ड निपटानों के टी+एन निपटान चक्र से अलग तत्काल निपटान की सुविधा है। लेकिन यूपीआई में सहभागी बैंकों के बीच होने वाला निपटान आस्थगित निवल आधार पर होता है। इस निपटान में सुविधा के लिए अपेक्षित है कि पीएसओ और बैंकों के पास निपटान जोखिम को संभालने के लिए पर्याप्त सिस्टम और प्रोसेस विद्यमान हो। इसमें इस प्रणाली के लिए अतिरिक्त लागत निहित होती है।
- 10.5. निधि अंतरण प्रणाली के रूप में यूपीआई भी आईएमपीएस की तरह है। इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि निधि अंतरण लेन-देन के लिए यूपीआई के प्रभारों को भी आईएमपीएस के प्रभारों जैसा ही होना चाहिए। रकम के अलग-अलग बैन्डों के आधार पर संस्तरित प्रभार लगाया जा सकता है।
- 10.6. यूपीआई का प्रयोग करते हुए व्यापारिक भुगतानों के लिए व्यापारियों द्वारा मंहगी अवसंरचना की स्थापना करने की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है। यूपीआई के लिए व्यापारिक अवसंरचना की लागत कार्ड-आधारित स्वीकार्यता अवसंरचना पर आने वाली लागत की तुलना में कम होती हैं।

10.7. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. शून्य प्रभारों के संदर्भ में क्या लागत के लिए अनुदान देना अधिक प्रभावी विकल्प है?
- ii. यदि यूपीआई लेनदेन पर प्रभार लगाया जाता है तो क्या इसके लिए एमडीआर को लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के रूप में रखा जाए या लेनदेन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना इसे निश्चित रकम के रूप में लगाया जाए?
- iii. यदि इन पर प्रभारों की शुरुआत की जाती है तो क्या ये नियंत्रित (जैसे रिज़र्व बैंक द्वारा) होने चाहिए या बाजार द्वारा निर्धारित होने चाहिए?

11. मध्यस्थ

- 11.1. डिजिटल भुगतान-मूल्य शृंखला में भुगतान संकलनकर्ता (पीए) महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ होता है। बैंक-निर्गमित या गैर-बैंक-निर्गमित भुगतान साधनों का प्रयोग करते हुए किए गए डिजिटल भुगतानों को स्वीकार करने में सुविधा देने में भुगतान संकलनकर्ता, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। विक्रय-स्थल पर उपकरणों, क्यूआर कोड, आदि लगाने के माध्यम से ये बहुत से छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतानों को स्वीकार करने के दायरे में सफलतापूर्वक ला चुके हैं। भुगतान अधिग्राही होने के अलावा इन मध्यस्थों द्वारा व्यापारियों को बहुत सी मूल्य-वर्धित सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अभी तक केवल ऑनलाइन भुगतान संकलनकर्ताओं को रिज़र्व बैंक के नियमनों के अधीन लाया जा रहा है।
- 11.2. भुगतान लेन-देन शृंखला में एक अन्य महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ है भुगतान गेटवे (पीजी)। यह डिजिटल भुगतान के शिल्प में अनिवार्य तंत्रावली प्रदान करता है। पीए और पीजी की भूमिका में जो उल्लेखनीय अंतर है वह है निधियों की व्यवस्था। पीए निधियों की व्यवस्था करता है, जबिक पीजी केवल लेन-देन की प्रोसेसिंग में सुविधा देता है।
- 11.3. मध्यस्थों द्वारा भुगतान अधिग्रहीता सेवाएं या तो बाहर से सेवा प्रदाताओं के माध्यम से या फिर व्यापारियों के सीधे संकलनकर्ताओं के रूप में दी जाती हैं। जहां वे बैंकों के सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करते हैं, वहां वे बैंकों के लिए अधिदेशित किए अनुसार (या पीएसओ स्कीम के अनुसार) ही एमडीआर लगाते हैं और बैंकों के साथ किए गए समझौते के अनुसार आय का अर्जन करते हैं। लेकिन जब वे सीधे ही व्यापारिक संकलनकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं तो ये मध्यस्थ भी एमडीआर के अलावा अपने द्वारा दी जा रही मूल्य-वर्धित सेवाओं के लिए प्रकट रूप से अतिरिक्त प्रभार भी लगाते हैं। मध्यस्थों द्वारा लगाया गया यह अतिरिक्त प्रभार आमतौर पर एमडीआर के साथ ही मिला दिया जाता है और प्रोसेस किए गए प्रत्येक लेन-देन के लिए मितीकाटे के रूप में व्यापारियों से वसूल कर लिया जाता है। एमडीआर को मध्यस्थों द्वारा लगाए जाने वाले समग्र प्रभारों में ही मिला देने की इस परिपाटी में पारदर्शिता नहीं है। इस पारदर्शिता के अभाव के बारे में व्यापारियों से कई शिकायतें मिली हैं कि एमडीआर के नाम से मध्यस्थ उच्चतर प्रभार लगाया जा रहा है।
- 11.4. एमडीआर ऐसा प्रभार है जो भुगतान लेन-देन की प्रोसेसिंग से संबंधित है। मध्यस्थों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाएं सीधे ही भुगतान लेन-देन के निपटान से संबद्ध नहीं होती हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि व्यापारियों द्वारा देय ऐसे प्रभारों को पहले से प्रकट किया जाए और पारदर्शी तरीके से लगाया जाए। मध्यस्थों द्वारा

निपटान की गई **लेन-देन** रकम पर की जाने वाले कोई भी कटौती केवल एमडीआर के लिए ही होनी चाहिए। अन्य प्रभारों को अलग से लगाया जाना चाहिए।

11.5. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या लगाए जाने वाले प्रभारों के तरीके के बारे में मध्यस्थों को पारदर्शी होना चाहिए?
- ii. क्या मध्यस्थों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों को अलग-अलग करके प्रभारित करना चाहिए?
- iii. क्या इन प्रभारों को नियमन के अधीन होना चाहिए?

12. सरचार्ज और सुविधा शुल्क

12.1. सरचार्ज और / अथवा अन्य सुविधा शुल्क ऐसे अतिरिक्त प्रभार हैं जो डिजिटल लेन-देन करते समय आमतौर पर ग्राहकों पर लगाए जाते हैं। ग्राहकों के लिए यह एक प्रकार से अतिरिक्त भार है, ऐसे प्रभार डिजिटल भुगतानों को सहज रूप से अपनाने में बाधा पैदा करते हैं, यह भी कि इसके लगाने के कारण और तरीके पारदर्शी या स्पष्ट रूप से उचित सिद्ध किए जाने लायक नहीं होते हैं। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि इन प्रभारों को लगाने वाले व्यापारी / सेवा प्रदाता / ऑनलाइन प्लेटफार्म कारोबारी प्रकृति के होते हैं, और इसलिए सीधे ही रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। पूर्ववर्ती उल्लेखों को देखते हुए इस प्रकार के प्रभारों का नियमन रिज़र्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है; तथापि कुछ ग्राहक इन प्रभारों को लगाने की शिकायत तो करते ही हैं। यह देखते हुए कि इस आलेख का प्रयोजन फीडबैक को अभिव्यक्त करना है, ताकि स्टेकधारकों को इनसे अवगत कराया जा सके; इसलिए इन प्रभारों के बारे में चर्चा के कुछ मुद्दों और इन पर कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया गया है।

12.2. सरचार्ज लगाना

- 12.2.1. जब ग्राहक द्वारा देय प्रभार भुगतान के माध्यम (नकद या डिजिटल) के आधार पर विविधता ले लेते हैं, तो इसे सरचार्ज लगाना कहा जाता है। यदि ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार डिजिटल भुगतान चैनल (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई) पर निर्भर होते हैं तब भी सरचार्ज लगाए जाते हैं। डिजिटल भुगतानों की स्वीकार करने की सुविधा देने के लिए व्यापारियों पर लगाए जाने वाले उच्च एमडीआर के कारण भी प्रकट रूप से सरचार्ज लगाने की परिपाटी मौजूद है।
- 12.2.2. रिज़र्व बैंक ने पहले भी बैंकों को सूचित किया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने पर उन व्यापारियों द्वारा एमडीआर प्रभारों को करने पर ग्राहकों पर अंतरित नहीं किया जाता है, जिन व्यापारियों को उनके द्वारा ऑन-बोर्ड किए गए हैं। क्रेडिट कार्डों या पीपीआई का प्रयोग करके निष्पादित लेन-देन के लिए यह अधिदेश नहीं दिया गया है।

12.2.3. फीडबैक के लिए प्रश्न

- क्या सरचार्ज उचित हैं? क्या ये वांछनीय हैं?
- ii. क्या ग्राहकों पर सरचार्ज लगाने की अनुमति व्यापारियों को दी जानी चाहिए?

iii. क्या सरचार्ज लगाने का नियमन होना चाहिए? किसके द्वारा?

12.3. सुविधा शुल्क

- 12.3.1. यह शुल्क सेवा प्रदाताओं / प्लेटफार्मों द्वारा सेवा की लागत के अलावा अतिरिक्त शुल्क होता है। आमतौर पर यह शुल्क ली गई सेवा की 'प्रित इकाई' सेवा पर लगाया जाता है और डिजिटल भुगतानों के सभी माध्यमों के लिए एक-समान हो सकता है। उदाहरण के लिए मूवी टिकट या वायुयान की टिकट बुक करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों से सुविधा शुल्क ले सकता है। यात्रा करके कम्पनी के बुकिंग काउन्टरों पर जाकर और टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने की बजाय ग्राहक यह सुविधा शुल्क (अपने घर में सुविधापूर्वक रहते हुए टिकट बुक करने की सुविधा लेने हेतु) देने को प्राथमिकता दे सकते हैं। सुविधा शुल्क इस प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफार्मों / सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व का निश्चित स्रोत प्रदान करते हैं, और कई बार तो यह उनके लिए राजस्व का प्रधान स्रोत होता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइल टिकट बुकिंग प्लेटफार्मों के मामले में यही देखा गया है। इससे मूवी जाने वाले काउन्टरों पर लाइनों और भौतिक रूप से नकदी संभालने से बच जाते हैं; यह थियेटरों को भी इस लायक बनाता है कि बिना अपेक्षित स्टाफ की नियुक्त किए हुए ही ग्राहकों की बड़ी संख्या को सेवा दे पाएं।
- 12.3.2. बुकिंग रकम पर ध्यान दिए बिना ही सुविधा शुल्क एक निश्चित शुल्क होता है, लेकिन प्राप्त की गई सुविधा के अनुसार यह पृथक हो सकता है। किसी एक सेवा प्रदाता और दूसरे प्रदाता के बीच भी यह पृथक हो सकता है। अक्सर सुविधा शुल्क और किसी लेन-देन पर सरचार्ज को अलग करने वाली रेखा काफी बारीक होती है।
- 12.3.3. सरचार्ज को आमतौर पर पारदर्शी तरीके से नहीं लगाया जाता है, इससे अलग सुविधा शुल्क के बारे में व्यापारियों द्वारा ग्राहक को पहले ही बता दिया जाता है उत्पाद की लागत और लगाए गए सुविधा शुल्क को अलग-अलग बताया जाता है। यह सुविधा शुल्क अलग-अलग रूपों में आता है इन्टरनेट हैन्डिलिंग शुल्क, सुविधा देने का शुल्क, आदि लेकिन अभिप्राय यही रहता है कि उत्पाद/सेवा की लागत/कीमत से कुछ अधिक वसूल किया जाए।
- 12.3.4. डिजिटल भुगतान लेन-देन अधिकांशतया मूल्य-निरपेक्ष होता है। इसका आशय यह है कि लेन-देन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ही अवसंरचना का प्रयोग और प्रयास सम-समान रहता है। एक या अधिक मूवी टिकटें बुक करने के सौदे में प्रयोक्ता और सेवा प्रदाता को एक जैसा प्रयास ही करना पड़ता है। इसलिए, क्या सुविधा शुल्क किसी एक लेन-देन में बुक की गई टिकटों की संख्या पर आधारित होना चाहिए या यह टिकटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना ही रखा जाना चाहिए? विकल्प रूप से क्या इसमें इन दोनों का मिश्रित रूप होना चाहिए। इन मुद्दों पर सम्यक रूप से विचार करने की जरूरत है।
- 12.3.5. डेबिट कार्ड लेन-देन के लिए अधिकतम एमडीआर का संबंध सुविधा शुल्क से संबंधित नहीं है।

12.3.6. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या सुविधा शुल्क का नियमन होना चाहिए? किसके द्वारा?
- ii. क्या बुक की गई सीटों / टिकटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना यह प्रभार एक-समान होना चाहिए?

ाहिएक्या ये प्रभार लेनदेन के मूल्य पर आधारित होने चाहिए?

13. अन्य पहलू

- 13.1. इन चर्चाओं में एक मुद्दा यह भी है कि क्या डिजिटल लेन-देन पर मूल्य के आधार पर प्रभार लगाया जाए? यह देखते हुए कि डिजिटल भुगतान के लेन-देन तो बस एक क्लिक करने की बात होते हैं, तो क्या वे मूल्य-विरत होते हैं? दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या लेन-देन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना ही डिजिटल भुगतान व्यवहार के प्रभारों को एक-समान होना चाहिए? इसका आशय हुआ कि लेन-देन चाहे एक रुपये का हो या एक हजार रुपये का प्रभार एक जैसा ही होगा। या क्या बड़े मूल्य वाले प्रयोक्ताओं का प्रयोग छोटे मूल्य के संव्यवहारों के प्रयोग की लागत को सहायता देनी चाहिए? यह कि एक / कुछ टिकटों या सीटों के लिए सेवा प्रदान करना या लेन-देन करने में एक जैसा प्रयास ही होता है, तो क्या प्रति सीट या टिकट पर अतिरिक्त लेवी न्यायोचित है?
- 13.2. अन्य परिचर्चा प्रभारों को वसूल करने के तरीके के बारे में है। क्या ये प्रभार 'सीमांत लागत' पर आधारित होने चाहिए जबिक प्रयोक्ता से व्यापारियों की केवल अतिरिक्त / डेल्टा लागत वसूल की जाती है, वह लागत नहीं जो पहले ही किए जा चुके निवेशों से संबंधित है। व्यापारी को तो डिजिटल भुगतान लेन-देन की सुविधा देने के लिए केवल अपनी असल लागतों की वसूली करता हुआ देखा जाना चाहिए और किसी भी हालत में भुगतान साधन / प्रणाली के प्रयोक्ता से लाभ लेने का प्रयास करता हुआ नहीं।
- 13.3. अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी प्रभारों के लिए किसी प्रकार की अधिकतम या न्यूनतम सीमा लगाने का प्रयास किया जाता है तो स्टेकधारकों का समूचा समुच्चय, उनके द्वारा वास्तव में व्यय की गई लागत पर ध्यान दिए बिना सीमारेखा के समीपस्थ रहना चाहता है। इससे नियामक के लिए असमंजस हो जाता है कि हस्तक्षेप किया जाए या इससे दूर रहा जाए।
- 13.4. चर्चा के योग्य एक और एक पहलू है कि जिस प्रकार से प्रभार लगाए जाते हैं और / या प्रयोक्ताओं या व्यापारियों या भुगतानों की मूल्य श्रृंखला में अन्य स्टेकधारकों से वसूले जाते हैं तो क्या हस्तक्षेप वांछनीय है भी। कुशल बाजार परिकल्पनाओं की तरह ये प्रभार भी मांग और पूर्ति पर आधारित हो सकते हैं, और इन्हें नियामकों या सरकार द्वारा निर्धारित किसी बनावटी या अधिदेशित सीमाओं के अधीन नहीं किया जाए।

13.5. फीडबैक के लिए प्रश्न

- i. क्या डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए प्रभारों का लगाया जाना संव्यवहार के मूल्य से अलग होना चाहिए?
- ii. क्या डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए प्रभारों का लगाया जाना बुक की गई सीटों / टिकटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना एक-समान होना चाहिए?
- iii. क्या व्यापारियों द्वारा प्रभारों का लगाया जाना सीमांत लागत-आधारित होना चाहिए, अर्थात प्रयोक्ता से वही लागत वसूल की जानी चाहिए जो डिजिटल भुगतान लेन-देन की सुविधा देने में अतिरिक्त लागत के रूप में व्यय की गई हो?

- iv. क्या डिजिटल **लेन-दे**न के लिए प्रभारों को बाजार-निर्धारित होना चाहिए मांग और पूर्ति आधारित किसी नियामक या सत्ता के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए?
- v. ऐसे प्रभारों के लिए और क्या-क्या पारदर्शिता लाई जा सकती है?

14. प्रश्नों का सारांश

14.1. फीडबैक के लिए उक्त प्रश्नों को सहज संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

आरटीजीएस

- 1. क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को आरटीजीएस **लेन-देन** के लिए सदस्यों पर प्रभार नहीं लगाने की नीति की समीक्षा करनी चाहिए?
- 2. क्या समय-परिवर्ती प्रभारों को पुन: आरंभ किया जाना चाहिए?
- 3. आरटीजीएस **लेन-देन** के लिए क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे प्रभार निर्धारित करने चाहिए जो सदस्यों द्वारा ग्राहकों पर लगाए जा सकते हों, या इन्हें बाजार-संचालित होना चाहिए?

एनईएफटी

- 4. क्या एनईएफटी के माध्यम से प्रोसेस किए गए लेन-देन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सदस्य बैंकों पर प्रभार लगाए जाने चाहिए?
- 5. क्या बैंकों को यह अनुमित दी जानी चाहिए कि वे अपने ग्राहकों पर एनईएफटी लेन-देन हेतु प्रभार लगाएं, चाहे इसे ऑनलाइन किया गया हो या अन्य प्रकार से?
- 6. क्या एनईएफटी **लेन-देन** के लिए बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों पर लगाए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक को करना चाहिए या ये बाजार संचालित होने चाहिए?

आईएमपीएस

- 7. क्या आईएमपीएस लेन-देन हेतु प्रभारों का नियमन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाना चाहिए?
- क्या आईएमपीएस पर लगाए जा सकने वाले प्रभारों की उच्चतम सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा निश्चित कर दी जानी चाहिए?

डेबिट कार्ड

- 9. क्या डेबिट कार्ड से लेनदेन पर सामान्य निधि अंतरण लेन-देन की तरह से प्रभार लगाया जाना चाहिए?
- 10.क्या डेबिट कार्डों हेतु एमडीआर को सभी व्यापारियों के लिए एक-समान होना चाहिए (टर्नओवर पर ध्यान दिए बिना)?

- 11.क्या डेबिट कार्ड लेन-देन पर इन्टरचेन्ज का नियमन भारतीय रिज़र्व बैंक को करना चाहिए?
- 12.क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को डेबिट कार्ड लेन-देन हेतु एमडीआर का नियमन हटा देना चाहिए और एमडीआर और इन्टरचेन्ज के उचित स्तर का निर्णय स्टेकधारकों पर छोड़ देना चाहिए?
- 13.क्या डेबिट कार्ड के लिए एमडीआर लेन-देन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में होना चाहिए या लेन-देन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना एक निश्चित रकम होना चाहिए।
- 14.क्या एमडीआर के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क से संबद्ध अन्य डेबिट कार्डी की तुलना में रूपे कार्डी को अलग तरीके से लिया जाना चाहिए?
- 15.डिजिटल भुगतानों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए दो विकल्पों (एमडीआर को हटाना/कम करना, या कार्डधारकों को लाभ देना) में कौन सा विकल्प अधिक प्रभावी है?

क्रेडिट कार्ड

- 16.क्या क्रेडिट कार्ड पर एमडीआर प्रभार उचित है?
- 17.क्या रिज़र्व बैंक को चाहिए कि क्रेडिट कार्डी पर एमडीआर का नियमन करें?
- 18.क्या एमडीआर के स्थान पर रिज़र्व बैंक को क्रेडिट कार्ड के लिए इन्टरचेन्ज का नियमन करना चाहिए?
- 19. क्या क्रेडिट कार्डों के लिए एमडीआर और इन्टरचेन्ज का नियमन रिज़र्व बैंक को करना चाहिए?

पीपीआई

- 20.क्या पीपीआई लेन-देन के लिए रिज़र्व बैंक को एमडीआर का नियमन करना चाहिए?
- 21.यह देखते हुए कि पीपीआई के मामले में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, तो क्या पीपीआई लेन-देन के लिए अधिक एमडीआर लगाना (जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर एमडीआर लगाया जाता है उसी प्रकार से) उचित है?
- 22.क्या पीपीआई का प्रयोग करते हुए व्यापारिक भुगतानों के लिए प्रभारों की संरचना डेबिट कार्डों की तरह होनी चाहिए?
- 23.क्या पीपीआई का प्रयोग करते हुए नकदी निकालने के लिए प्रभारों का नियमन किया जाना चाहिए?

यूपीआई

- 24. शून्य प्रभारों के संदर्भ में क्या लागत के लिए अन्दान देना अधिक प्रभावी विकल्प है?
- 25.यदि यूपीआई लेनदेन पर प्रभार लगाया जाता है तो क्या इसके लिए एमडीआर को लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के रूप में रखा जाए या लेनदेन के मूल्य पर ध्यान दिए बिना इसे निश्चित रकम के रूप में लगाया जाए?
- 26.यदि इन पर प्रभारों की शुरुआत की जाती है तो क्या ये नियंत्रित (जैसे रिज़र्व बैंक दवारा) होने चाहिए या बाजार दवारा निर्धारित होने चाहिए?

मध्यस्थ

- 27.क्या लगाए जाने वाले प्रभारों के तरीके के बारे में मध्यस्थों को पारदर्शी होना चाहिए?
- 28.क्या मध्यस्थों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों को अलग-अलग करके प्रभारित करना चाहिए?
- 29.क्या इन प्रभारों को नियमन के अधीन होना चाहिए?

सरचार्ज लगाना

- 30. क्या सरचार्ज उचित हैं? क्या ये वांछनीय हैं?
- 31.क्या ग्राहकों पर सरचार्ज लगाने की अनुमति व्यापारियों को दी जानी चाहिए?
- 32.क्या सरचार्ज लगाने का नियमन होना चाहिए? किसके द्वारा?

सुविधा शुल्क

- 33.क्या सुविधा शुल्क का नियमन होना चाहिए? किसके द्वारा?
- 34. क्या बुक की गई सीटों/ टिकटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना यह प्रभार एक-समान होना चाहिए?
- 35.क्या ये प्रभार लेनदेन के मूल्य पर आधारित होने चाहिए?

अन्य पहलू

- 36.क्या डिजिटल भुगतान **लेन-देन** के लिए प्रभारों का लगाया जाना संव्यवहार के मूल्य से अलग होना चाहिए?
- 37.क्या डिजिटल भुगतान लेन-देन के लिए प्रभारों का लगाया जाना बुक की गई सीटों/ टिकटों की संख्या पर ध्यान दिए बिना एक-समान होना चाहिए?
- 38.क्या व्यापारियों द्वारा प्रभारों का लगाया जाना सीमांत लागत-आधारित होना चाहिए, अर्थात प्रयोक्ता से वही लागत वसूल की जानी चाहिए जो डिजिटल भुगतान लेन-देन की सुविधा देने में अतिरिक्त लागत के रूप में व्यय की गई हो?
- 39.क्या डिजिटल **लेन-देन** के लिए प्रभारों को बाजार-निर्धारित होना चाहिए मांग और पूर्ति आधारित किसी नियामक या सत्ता के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए?
- 40. ऐसे प्रभारों के लिए और क्या-क्या पारदर्शिता लाई जा सकती है?

14.2. उक्त प्रश्नों के प्रतिसाद के माध्यम से विशिष्ट फीडबैक, विचाराधीन विषय के लिए संगत सुझावों और अन्य इनपुट सहित, (ईमेल) के माध्यम से 3 अक्तूबर 2022 तक या इससे पहले भेज दिए जाएं।



परिशिष्ट

प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर	विस्तारण
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
जीएसटी	वस्तु और सेवा कर
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
एमडीआर	व्यापारिक मितीकाटा दर
एमएसएफ	व्यापारिक सेवा शुल्क
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनपीसीआई	नेशनल पेमेन्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
पी2एम	व्यक्ति-से-व्यापारी
पी2पी	व्यक्ति-से-व्यक्ति
पीए	भुगतान संकलनकर्ता
पीजी	भुगतान गेटवे
पीओएस	विक्रय-स्थल
पीपीआई	प्रीपेड भुगतान साधन
पीएसओ	भुगतान प्रणाली परिचालक
पीएसपी	भुगतान सेवा प्रदाता
पीएसएस अधिनियम	भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
क्यूआर	त्वरित प्रतिसाद
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
टीपीएपी	तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता
यूपीआई	एकीकृत भुगतान इन्टरफेस